

राजस्व लोक अदातत केम्प कोर्ट :-
महुआ खुर्द

31-5-17

आज पञ्चावती केम्प कोर्ट महुआ खुर्द मे पेरा डूडी
वारी ने एक वाद इस आवप का पेरा किया कि
वारी के पिता स्व. हरवल नी कब्जे कमत खातेवरी
की आराजी जिनके हाल स्व. न. 1/0-15, 2/0-17,
3/0-29, 4/0-31, 5/0-11, 6/0-13, 11/0-53, 12/0-24,
16/0-19, 39/0-20, 40/0-20, 41/0-22, 42/0-22,
49/0-27, 493/0-24, 321/0-35, 322/0-30,
323/0-35, 669/0-44, 670/0-07, 671/0-07,
682/0-15, 683/0-15, 28/0-41, 29/0-43, 30/0-41
653/0-39, 654/0-20, 655/0-26, 656/0-31, 685/0-06,
687/0-04, 688/0-31, 689/0-05, 724/0-36, 115/0-15,
116/0-15, 117/0-12, 118/0-12, 252/0-46, 255/0-56,
236/0-14, 137/0-15, 138/0-34, 400/0-20, 535/0-30
538/0-21, 539/0-39, 567/0-13, 588/0-16, 421/0-60
677/0-03, 678/0-03, 684/0-04, 180/0-28, 181/0-33,
200/0-17, 201/0-16, 202/0-16, 203/0-16, 204/0-06,
627/0-32

अमीर खान

अमीर खान

Sl. No. 21/17

अमीर खान

सरपंच
ग्राम पंचायत महुआ खुर्द
पो. सो. उमरैय (अलवर)

628/0.28, 629/0.03, 630/0.09, 631/0.13,
632/0.37, 330/0.52, 419/0.34, 867/846/0.06
542/0.35, 544/0.29 हेम्बर वाके ग्राम महुआकला
तह-भालारेश्वर जिला अलवर के वाडी के पिता स्व.
श्री हरफूल की कलजे कास्ट की रवातेदारी की आराजी
थी। वाडी के पिता का स्वर्गनाम हो चुका है। जिसका
विरासत का इन्तकाल भी वाडी के नाम पर हुआ है।
विरासत का इन्तकाल हुआ उसमें मित्र वाडी का नाम
बल्ला दर्ज कर दिया गया जबकि वास्तविक नाम राधेश्याम
है। समस्त सरकारी रिकॉर्ड राशनकार्ड, पहचान पत्र,
बैंक अकाउंट आदि में भी राधेश्याम दर्ज है। अतः राजस्व
रिकॉर्ड में बल्ला @ राधेश्याम दर्ज किया जाये।

अन्य थमावली केम्प कोर्ट महुआ एड्स में केस 887
सरकारी पैरोकार से रिपोर्ट प्राप्त हुई कि जमावती
सन्वत् 2072 के खाना सं. 95, 218, 100, 89, 90, 91
94, 112, 113, 169, 191, 205, 59, 69, व 70 में बल्ला
पुत्र हरफूल रवातेदार दर्ज है। प्राचीन राधेश्याम की
विरासत इ. न. 190 में भी बल्ला दर्ज है किन्तु अन्य
कागजात, वोटर ID, राशनकार्ड व स्कूल की मार्कशीट
में राधेश्याम दर्ज है। सरपंच ग्राम पेचायत महुआ के
उपाध्यक्ष में बल्ला व राधेश्याम एक ही व्यक्ति होना
बताया है। ग्रामवासियों ने भी बल्ला पुत्र हरफूल
व राधेश्याम पुत्र हरफूल जादव नि. ग्राम महुआकला का
एक ही व्यक्ति है। बल्ला पुत्र हरफूल नाम का कोई अन्य
व्यक्ति नहीं है। प्रमाती, समयताल पुत्रान हरफूल जादव
ने शपथ पत्र में बताया कि बल्ला का नाम राधेश्याम ही
है। बच्चों के शिक्षा के प्रमाण पत्रों में भी नाम
राधेश्याम है। जमीन के कागजों में हमारे भाई बल्ला
का नाम सही करके "राधेश्याम" कर दिया जाने लगे
हैं। कोई अंतराज नहीं है। नाम सही होने पर राधेश्याम
या इनके बच्चों को भविष्य में होने वाली परेगाजीयो
में परकार्य मिल जायेगा।

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	---------------------------------	---

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों, पेंरोकार सरकार की रिपोर्ट, ग्रामनासीबान केम्प के दौरान मजदूरी आम मय सरपंच ग्राम पेचायत की रिपोर्ट अनुसार, एवं वादी के सगे मर्द प्रभाती, सभयलाल द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, एवं वादी द्वारा प्रस्तुत चोटर I D, सरानकई स्कूल की मार्किट में राधेश्याम दर्ज है। उसे के अवलोकन से वादी का नाम बल्ला की जगह राधेश्याम दर्ज करना उचित समझता हूँ।

अतः वादी का नाम में डिक्री किया जाता ^{वादी का नाम} ~~उसका नाम~~
^{राधेश्याम} ~~सभयलाल~~ कि हाल जमावदी सम्बन्ध 2072 के खता नं. 95, 210, 100, 89, 90, 91, 94, 112, 113, 169, 191, 205, 59, 69 व 70 में बल्ला का नाम कलम जन कर, ^{राधेश्याम} ~~सभयलाल~~ दर्ज किया जावे। तदनानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होवे प्रयत्न में डिक्री जारी है।

पत्रावली फाइल द्वारा होवे नम्बर में यह दामे २००२ दिनांक है।


 सहायक कलेक्टर
 बलवर